3/11/17

पत्रावली

पत्रावली पर प्रार्थना पत्र प्राप्त किया प्रार्थी द्वारा ज.पम

212 RTA अन्तर्गत का निवेदन किया है कि

खातेदार खसरा नं० 103, 79 हाल 147 व 108

वाके गांगरोली व 1017 व 145 केवल नाले

ग्राम गांगरोली स्थित थी खाते 103 व 79

संवत 2021-24 में रूपन के नाम दर्ज थी

पैतृक भूमि में से क्रय करके बड़े पुत्र

नवल के नाम दर्ज करा दिये थी मगर

को मृत्यु क्रय किया आदि लगान नहीं

है। बहस में वादी वकील ने कहा

कि नवल की शादी भी नहीं हुई थी।

ह०

उप खण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सम्बन्ध में अप्रार्थी के वकील का कथन
है कि भूमि रुक्मि बिरमा का खरीद थी
नवला ~~के~~ पत्त काम पिता से अलग रहता
था शादी भी हो चुकी थी। प्रार्थी द्वारा
यह नहीं बताया कि पैतृक सम्पत्ति थी
कोय क्या थी। कब्जा बाबत कोई सबूत
पेश नहीं किया था नवल ने अपनी स्वयं
पुत्र वधू को Sale deed gift करदी थी
परिवार कार्ड में इस सब शामिल नहीं थी
अतः पारिवारिक सदस्य नहीं हुए। नवल
1973 में अलग हो गया था तब objection
नहीं किया अब पुत्र वधू के नाम Sale
deed कराने पर किया था प्रार्थी ने
जब कि अप्रार्थी स्वीकार करता है कि
यह भूमि पिता के जीवन काल में छीतम
कब्जे थी तथा एक ही पुत्र होने पर
पुत्र वधू के नाम दान कर दी।
कानूनी नजीर RRD 2002 पेज 744 पेश की
शंकरलाल एवं अन्य V/S कैलाश (अन्य) पेश की
प्रति के RRT 2013 (C) 132 पेश की।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया
व विद्वान अभिभाषकगण की बहस ~~सुनी~~
पर मनन किया प्रार्थी का कथन है कि
विवादित आराजी पैतृक थी तथा अप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

-3-

का कथन है कि इसने क्रय नहीं की बल्कि पिता से प्राप्त की है यह स्वीकार करता है अतः विवादित आराजी के हक का निर्णय तो दावे में किया जावेगा विवाद कारित प्रतीत होता है तब तक दावे का निर्णय न हो तब तक आराजी की यथा स्थिति बनाये रखना उचित समझते हैं ताकि बाद कायम न रहे।

अतः आदेश है कि जारी शुदा T.I. को निरस्त किया जाकर भी निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (जयपुर)